भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2349
उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025
सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

महिला/पुरुष-वार आंकड़े

2349. श्री जी. सेल्वम: श्री सी. एन. अन्नादुरई: श्री नवसकनी के.:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के अंतर्गत जिला-वार प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों के महिला/पुरुष-वार आँकड़े हैं और यदि हाँ, तो महिला अभ्यर्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमकेवीवाई 4.0 के आरंभ के बाद से तमिलनाडु में इसके अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है तथा विभिन्न नौकरियों में सफलतापूर्वक नियोजित महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ग) महिलाओं के नामांकन, प्रशिक्षण, पूर्णता, नियोजन दर और उनके नियोजन क्षेत्रों के ब्यौरे सहित कांचीपुरम की महिला प्रशिक्षुओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उक्त जिलों में महिलाओं के लिए सिलाई, स्वास्थ्य सेवा, आईटी/आईटीईएस, ब्यूटी एवं वेलनेस और उद्यमिता जैसी कोई लक्षित कौशल पहल शुरू की गई है;

(ड.) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन पिछड़े और अर्ध-शहरी जिलों में पीएमकेवीवाई 4.0 केंद्रों में छात्रावास सुविधाएं, वजीफा सहायता और स्थानीय उद्योगों के साथ साझेदारी सहित महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या इन जिलों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त महिला-केंद्रित प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, दिनांक 31.10.2025 तक तमिलनाडु के 37 जिलों में कुल 86,750 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों का जिलावार और जेंडरवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पीएमकेवीवाई योजना के पहले तीन संस्करणों अर्थात पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 जो वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किए गए, के अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन (प्लेसमेंट) का रिकॉर्ड रखा गया था। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर अवसरों का चयन करने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) द्वारा इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

(ग) दिनांक 31.10.2025 तक पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कांचीपुरम जिले में नामांकित, प्रशिक्षित/उन्मुख और प्रमाणित महिला उम्मीदवारों का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	**क्षेत्र का नाम**	**नामांकित**	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रमाणित**
1.	कृषि	20	20	19
2.	परिधान	827	752	563
3.	सौंदर्य और स्वास्थ्य	240	212	204
4.	पूंजीगत माल	5	5	0
5.	निर्माण	22	22	21
6.	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	227	170	131
7.	हाइड्रोकार्बन	35	30	25
8.	आईएएससी	71	71	62
9.	लोहा और इस्पात	224	224	181
10.	आईटी-आईटीईएस	914	792	613
11.	चमड़ा	762	762	683
12.	प्रबंधन	3	3	2
13.	मीडिया और मनोरंजन	227	227	124
14.	पाइपलाइन	3	3	0
15.	दूरसंचार	195	195	153
16.	पर्यटन और आतिथ्य	60	60	56
	कुल	**3,835**	**3,548**	**2,837**

(घ) (ड.) और (च) पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग-आधारित योजना है जिसे समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इस योजना में विशेष परियोजनाओं के लिए एक समर्पित प्रावधान शामिल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) सहित अल्पप्रतिनिधित्व वाले सामाजिक समूहों की भागीदारी को बढ़ाना है। कौशल विकास कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच को सुगम बनाकर महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

समावेशिता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये समूह प्रशिक्षण में भाग ले सकें और बाद में लाभकारी वेतन या स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें, योजना विशेष क्षेत्रों (सामान्य मानदंडों के तहत परिभाषित) की महिलाओं, दिव्यांगजनों और प्रशिक्षुओं के लिए भोजन तथा आवास (बीएंडएल) और परिवहन सुविधाएं प्रदान करती है, चाहे वे विशेष क्षेत्रों के भीतर हों या बाहर। इसके अतिरिक्त, सामान्य मानदंडों के अनुसार, गैर-आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए परिवहन सहायता भी अनुमेय है।

इसके अलावा, किशोरियों के बीच रोजगार क्षमता और सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से 19 राज्यों के 27 आकांक्षी जिलों में 3,850 किशोरियों (एजी) के लक्षित कौशलीकरण के लिए नव्या (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं की देखभाल) नामक एक विशेष पहल शुरू की गई है।

अनुबंध-I

दिनांक 15.12.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2349 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 31.10.2025 तक पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों की ज़िलेवार और जेंडरवार सूचना नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	ज़िला	प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवार		
		महिला	पुरुष	ट्रांसजेंडर
1.	अरियालुर	1,706	753	-
2.	चेंगलपट्टू	852	712	-
3.	चेन्नई	3,711	2,864	-
4.	कोयंबटूर	4,528	5,509	1
5.	कुड्डालोर	3,379	2,084	-
6.	धर्मपुरी	2,549	791	-
7.	डिंडीगुल	3,350	990	-
8.	इरोड	4,396	1,149	-
9.	कल्लाकुरिची	95	431	-
10.	कांचीपुरम	3,548	1,834	-
11.	कन्याकुमारी	2,148	742	-
12.	करूर	1,765	166	-
13.	कृष्णागिरी	2,767	919	-
14.	मदुरै	2,745	1,645	-
15.	नागपट्टिनम	3,901	1,425	-
16.	नामक्कल	3,844	1,484	-
17.	पेरम्बलुर	2,123	1,024	-
18.	पुदुक्कोट्टई	1,379	511	-
19.	रामनाथपुरम	670	448	-
20.	रानीपेट	652	493	-
21.	सेलम	1,525	1,045	-
22.	शिवगंगा	847	854	-
23.	तेनकाशी	442	355	-
24.	तंजावुर	3,091	1,846	-
25.	नीलगिरी	1,377	1,853	-
26.	तेनी	701	450	-
27.	तिरुवल्लुर	5,032	2,551	-
28.	तिरुवरुर	2,390	101	-
29.	तिरुचिरापल्ली	4,669	2,943	-
30.	तिरुनेलवेली	1,851	1,442	-
31.	तिरुपथुर	1,128	156	-
32.	तिरुपूर	597	219	-
33.	तिरुवन्नामलाई	5,087	1,373	-
34.	तूतुकुडी	853	308	-
35.	वेल्लोर	3,826	780	-
36.	विल्लुपुरम	1,797	303	-
37.	विरुधुनगर	1,429	752	-
	कुल	**86,750**	**43,305**	**1**

*****